2025/760

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 513/2025

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाडा

<u>निर्णय</u> **दिनांकः-** 15/10/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा नगर पालिका बिलाडा के खसरा नंबर 425/1 व खसरा नंबर 425 तथा खसरा नंबर 425/5 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा जरिये पत्र अवगत करवाया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नंबर 425/5 है जिसका हल्का पटवारी द्वारा खसरा सं. 425/5 की तरमीम गलत होने से सीमाकंन किया जाना सम्भव नहीं है खसरा सं 425/5 के स्थान पर खसरा सं. 425 दर्ज नक्शे में दर्ज कर दिये गये जो गलत है, राजस्व नक्शा में अंकित तरमीम में खसरा सं 425 के स्थान पर खसरा सं 425/5 की तरमीम नामा. सं. 6965 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार किये जाने के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट चाही गई है। उक्त खसरा सं 425/5 की तरमीम के संबंध में निरीक्षक भूअ बिलाडा हल्का पटवारी बिलाडा चक 3 की ओर से जांच प्रतिवेदन में मौके पर खसरा सं 425 वर्तमान जमाबंदी अनुसार एवं नामान्तरकरण सं. 6965 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा में खसरा सं 425 को 425/1 दर्शाया गया जिसकी मौका निरीक्षण करने पर पाया कि खसरा सं 425/1 की खसरा सं 425 है। इस खसरे में मौके पर आवासीय मकान बना हुआ है। इस प्रकार खसरा सं. 425/5 की वर्तमान ऑनलाईन भू नक्शा में तरमीम का अंकन नहीं है। नामान्तकरण सं. 6965 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा में खसरा नंबर 425 जो वर्तमान जमाबंदी में खसरा सं 425 को 425/5 रकबा 3.7052 हैक्टयर यानि 22 बीघा 18 बिस्वा दर्ज किया हुआ है, जिसका मौका निरीक्षण करने पर पाया कि मौके पर बिलाडा से बिजासनी डामर सडक निर्मित है एवं पास के खातेदारों का अतिकरमण भी पाया गया।

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः कस्बा बिलाडा चक 3 के उक्त खसरों का मौका निरीक्षण अनुसार एवं नामान्तरकरण सं. 6965 की पुस्त पर

अंकित नजरी नक्शा अनुसार खसरा सं. 425/1 के स्थान पर 425 एवं खसरा सं. 425 के स्थान पर खसरा सं. 425/5 की तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि बिलाडा चक 3 के खसरा नंबर 425/1 की नामा. सं. 6965 की पुस्त पर तरमीम अंकित है। तथा तहसीलदार बिलाडा द्वारा संलग्न ऑनलाईन नक्शा में पुस्त से भिन्न तरमीम होना दर्शाया है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा संलग्न पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द में कथन किया कि गत जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता सं. 2027 खसरा सं. 425 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता नगरपालिका बिलाडा निगरानी दर्ज था। तत्पश्चात गत जमाबंदी संवत 2068-2071 में खाता सं. 1188 खसरा सं. 425/5 नवीन नंबर दिया जिसका रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता सं. 2027 में उक्त खसरे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता से गैर मुमकिन आबादी होने का नामान्तरकरण नोट अंकन नहीं है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 की गत जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता सं 290 में खसरा सं 425 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ में खातेदार कौशल्या पुत्री चतुराराम जाति सरगरा दर्ज थी तत्पश्चात जरिये नामा. 5181 मदनलाल पि. चुतराराम जाति मेघवाल दर्ज हुआ तत्पश्चात जरिये नामा. 6965 के जरिये मदनलाल द्वारा बैचान करने पर सायरी देवी पत्नी जगदीश चौहान दर्ज हुआ एवं नामा. में उक्त खसरा नंबर को खसरा सं. 425/1 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ अंकित किया गया तथा नामा.सं. 6965 की पुश्त पर उक्त खसरे का नजरी नक्शा अंकित किया हुआ है। तत्पश्चात उक्त खसरा सं. को गत जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं. 1058 खसरा सं. 425 रकबा 16 बिस्वा दर्ज हुआ। तत्पश्चात उक्त खाते में अंकित नोट अनुसार नामा. 7250, 7878, 7978 दर्ज हुआ। जरिये 7978 प्रकाश पुत्र राणाराम जाति सरगरा दर्ज हुआ। तत्पश्चात जरिये नामा. 8070 संपरिवर्तन नगरपालिका बिलाडा के नाम दर्ज हुआ। राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता सं. 1356 में खसरा सं. 425 रकबा 0.1294 हेक्टयर किस्म गे.मु.आबादी नगरपालिका हिस्सा पूर्ण बिलाडा (90बी) संस्था के लिए के नाम दर्ज है एवं उक्त खसरे का वर्तमान ऑनलाईन भू नक्शा में नामा. 6965 की पुश्त पर अंकित नक्शे से भिन्नता पाई गयी। एवं खाता सं. 1351 में खसरा सं. 425/5 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.आबादी नगरपालिका बिलाडा निगराणी के नाम दर्ज है। वर्तमान ऑनलाईन भू नक्शा में खसरा सं. 425/5 का अंकित नहीं है।

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

तहसीलदार बिलाडा द्वारा ऑनलाईन भू नक्शा में तरमीम को नामा. की पुस्त से भिन्न दर्शाया गया। राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 की जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता सं. 2027 के खसरा नंबर 425 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा जिसे वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नंबर 425/5 अंकित है तथा इसी प्रकार

राजस्व जमाबंदी संवत 2052–55 के खाता सं. 290 के खसरा नंबर 425 रकबा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नंबर 425 अंकित है जबकि नामा.सं. 6965 में उक्त खसरा नंबर 425 को खसरा नंबर 425/1 दर्शाया गया। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि जमाबंदी संवत 2052–55 के उक्त दोनो खसरान की तरमीम नामा. सं.6965 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शे के अनुसार किया जाना उचित रहेगा।

:–आदेश–:

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 की जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता सं. 2027 के खसरा नंबर 425 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा जिसे वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नंबर 425/5 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा अंकित है तथा इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत 2052–55 के खाता सं. 290 के खसरा नंबर 425 रकबा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नंबर 425 रकबा 16 बिस्वा अंकित है जबकि नामा.सं. 6965 में उक्त खसरा नंबर 425 रकबा 16 बिस्वा को खसरा नंबर 425/1 दर्शाया गया, उक्त खसरान की तरमीम नामान्तरकरण सं. 6965 की पुस्त पर पर अंकित नजरी नक्शा के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा